न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/566
मिसल नम्बर–104 / 2025

1.कुन्ज बिहारी पुत्र धन्नालाल
2.चौथमल पुत्र पन्नालाल
3.जगदीश कुमार पुत्र बाबूलाल
4.तरूण शर्मा पुत्र बाबूलाल
5.देवेश पुत्र हरीश बाबू
6.दिलीप कुमार पुत्र हुकमचन्द
7.प्रेमनारायण पुत्र पृथ्वीराज
8.रवि कुमार पुत्र अमरचन्द
9.रवि कान्त पुत्र प्रभुलाल
10.राधेश्याम पुत्र बाबूलाल
11.लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति कोली, निवासीगण ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 हाल निवासी कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा जरिये सचिव
2.कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा जरिये आयुक्त
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 18/2/26

उपस्थितिः–
1.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2.श्री शम्भूदयाल विजय अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1 व 2

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में ख0नं0 1209 / 454 की 1.60 है0 कृषि आराजीयात प्रार्थीगण के खाते एवं

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

कब्जे काश्त में स्थित है। प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर ख0नं0 327 से होते हुऐ ख0नं0 474 की की भूमि से होते हुऐ आते जाते रहे तथा उपरोक्त भूमियों पर होते हुऐ ही प्रार्थीगण उनकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नं0 327 एवं ख0नं0 474 की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात की किस्म चरागाह दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात की बुवाई हेतु माह जून में उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात ख0नं0 327 एवं खसरा नं0 474 से होकर उनके खाते की भूमि पर जा रहे थे, तभी वहां मौजूद प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर होकर आने जाने से रोका गया तथा यह भी कहा गया कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते की भूमि है, जिस पर जल्दी ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तारबंदी करावेगे तथा साथ ही प्रतिवादी कम 1 व 2 के कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को यह भी धमकी दी कि आज के बाद प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमियों से होकर नहीं निकलने देगे, जिस पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के प्रतिनिधि व कर्मचारियों को यह बतलाया कि उनके खाते व कब्जे की खसरा नं0 1209/454 पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, केवल मात्र यही रास्ता है, जिस पर होते हुऐ प्रार्थीगण गत कई वर्षों से उनकी खाते की भूमि पर आते जाते व कृषि उपकरण व फसल लाते ले जाते रहे है। साथ ही प्रार्थीगण ने यह भी कहा कि अगर उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते की कृषि आराजीयात पर से होते हुऐ उन्हे फसल करने हेतु नहीं आने जाने दिया जाता है, तो उनके भूखो मरने की नौबत आ जावेगी, क्योकि प्रार्थीगण के पास काश्तकारी के अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन व जीविकोपॉर्जन नहीं है। इस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के अधीनस्थ कर्मचारी प्रार्थीगण पर भडक गये तथा उन्हे अन्दर करने की धमकी दी साथ ही उपरोक्त भूमि पर से आज के बाद नहीं जाने को कहा गया। इस कारण से प्रार्थीगण उनके खाते व कब्जे की उक्त भूमि में माह जून में बुवाई नहीं कर पाए तथा उनके खाते व कब्जे की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात वर्तमान में रास्ते के अभाव में पडत रह गयी, जिस कारण से प्रार्थीगण के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो जाने के कारण उनके व उनके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गयी है, इस कारण से प्रार्थीगण को सम्माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, तदर्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण की खाते व कब्जे की भूमि पर प्रार्थीगण को उनके खाते व कब्जे की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ते के लिए जितनी भूमि दी जाती है, प्रार्थीगण उसकी ऐवज में नियमानुसार डी.एल.सी. दर के हिसाब से बनने वाली राशि को भी अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है अथवा रास्ते हेतु जितनी भूमि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के खाते में से ली जाती है, उतनी ही भूमि प्रार्थीगण उनके खाते की भूमि में से देने हेतु भी तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उनके खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात खसरा नं0 1209/454 की भूमि पर आने जाने कृषि यन्त्र लाने ले जाने व फसल आदि को लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की खाते की भूमि खसरा नं0 327 एवं खसरा नं0 474 की भूमि में से 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर उक्त रास्ते को लम्बाई चौडाई अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किये जाने एव अप्रार्थी सं0 1 व 2 को नियमानुसार राशि दिलाये जाने का अथवा भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया जाता है।

प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम रायथा ख0नं0 1209/454 रकबा 1.60 है0 खाता सं0 406 कुन्जबिहारी, चौथमल, जगदीश वगै0 के खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1209/454, ख0नं0 474 किस्म चारागाह के किनारे स्थित है, जो की राजस्व नक्शे मे रास्ते की तरह दिखाई देता है। लेकिन ग्राम रायथा से मोहनपुरा जाने वाली डामर मुख्य सड़क राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान मे नही बनी हुई है, यह सड़क काफी पुरानी है लेकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। वर्तमान मे प्रार्थी के खेत और मुख्य सड़क के मध्य ख0नं0 327 व 474 (चरागाह) की 27 मीटर दूरी उपरान्त प्रार्थी का खेत स्थित है। इस प्रकार ख0नं0 327, 474 की 27 मीटर लम्बी और 9 मीटर चौड़ी (लगभग 30 फुट) रास्ते का उपयोग करके ख0नं0 1209/454 की पूर्वी मेड़ तक पहुंचा जा सकता है। उक्त रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण स्वयं के खाते की ख0नं0 1209/454 की उत्तरी सीमा से लगती हुई भूमि देने को तैयार है। मुख्य सड़क से चारागाह भूमि से होते हुए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की खाते की भूमि खसरा नं0 327 एवं खसरा नं0 474 की भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर उक्त रास्ते को लम्बाई चौडाई अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित किये जाने का निवेदन किया गया। इसी सिलसिले मे कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 27.01.2026 को जो रिपोर्ट भेजी उसमे नक्शा ट्रेस संलग्न कर प्रस्तावित मार्ग की अनुशंसा की गई। खसरा नं0 327, 474 की 27 मीटर लम्बी और 9 मीटर चौड़ी (लगभग 30) रास्ते का उपयोग करके ख0नं0 1209/454 की पूर्वी मेड़ तक पहुंचा जा सकता है। मुख्य सड़क से चारागाह भूमि से होते हुए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थीगण पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही हेतु लगभग 30–32 फीट के मार्ग की आवश्यकता होती है एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 327, 474 से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रिकॉर्ड अनुसार रास्ता दर्ज नही है परतु मौके पर प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 327, 474 से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को खसरा संख्या 1209/454 की पूर्वी मेढ़ तक जाने के लिए खसरा संख्या 327, 474 की लम्बाई 27 मीटर व चौडाई 30 फिट का रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम मार्ग के क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर से दुगनी राशी संबंधित अप्रार्थीगण को उपलब्ध करावे तथा तदोपरांत मार्ग को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करे। उक्त मार्ग मुख्य मार्ग से प्रारम्भ होकर खसरा संख्या 1209/454 तक होगा। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18/2/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा